[भारत के राजपत्र के भाग-II, खंड-3 उप-खंड- (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
(सीजीएचएस प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक ,2018

अधिसूचना

सा.का.नि. ____________ राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के दिल्ली से बाहर के समूह 'ग', भर्ती नियम 1986 और केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 1987 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किए गए अथवा हटाए गए कार्यों का छोड़कर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में कार्यालय अधीक्षक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने हेतु निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1)** इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना संगठन (कार्यालय अधीक्षक) भर्ती नियम, 2017 होगा।
   ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
2. **पद संख्या वर्गीकरण, और वेतन मैट्रिक्स में लेवल --** उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में लेवल वही होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट है।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं इत्यादि –** उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता-** वह व्यक्ति-
   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; अथवा
   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा;

   परन्तु यदि केंद्रीय सरकार इससे संतुष्ट हो जाती है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति –** जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है, उन्हें लेखबद्ध करने और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति के लिए आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
6. **व्यावृत्ति –** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपलब्ध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में लेवल	क्या चयन पद अथवा गैर-चयन पद	सीधी भर्ती हेतु आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
कार्यालय अधीक्षक	25* (2018) अहमदाबाद-1 इलाहाबाद-1 बंगलुरू-1 भोपाल-1 चैन्नई-1 दिल्ली-8 हैदराबाद-1 जयपुर-1 कानपुर-1 कोलकता-1 लखनऊ-1 मेरठ-1 मुम्बई-2 नागपुर-1 पटना-1 पुणे-1 शिलांग-1 *कार्य भार पर आधारित भिन्नता के अधीन	सामान्य केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' अराजपत्रित अननुसचिवालीय	लेवल-6 (रू0 35400- 112400)	गैर-चयन पद	लागू नहीं

सीधी भर्ती हेतु अपेक्षित शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं	क्या सीधी भर्ती हेतु निर्धारित आयु और शैक्षणिक अर्हताएं पदोन्नति के मामले में भी लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो,	भर्ती की पद्धति, क्या सीधी भर्ती द्वारा अथवा पदोन्नति द्वारा अथवा प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों का	पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ओमलन द्वारा भर्ती के मामले में, ग्रेड जिससे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाना हैं।

			प्रतिशत	
7	8	9	10	11
लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	**पदोन्नति द्वारा** 85 प्रतिशत प्रवर श्रेणी लिपिकों के प्रदायक पदों से पदोन्नति द्वारा, 15 प्रतिशत सहायक कार्यालय अधीक्षक/मुख्य लिपिकों के सम्मिलित प्रदायक पदों से पदोन्नति द्वारा	प्रशासनिक कार्य में न्यूनतम दो वर्ष के अनुभव के साथ संबंधित ग्रेड में 5 वर्ष की सेवा के साथ प्रवर श्रेणी लिपिक

यदि विभागीय पदोन्नति समिति मौजूद हे, उसकी संरचना कैसी है	परिस्थितियां, जिनमें भर्ती करने हेतु संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।
(12)	(13)
1. विभागीय पदोन्नति समिति (दिल्ली में अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल हैं:- (1) अपर निदेशक, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना- अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (मुख्यालय), केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना- सदस्य (3) प्रशासनिक अधिकारी अथवा संबंधित अपर निदेशक द्वारा नामित समूह 'क' का अन्य कोई अधिकारी- सदस्य 2. विभागीय पदोन्नति समिति (दिल्ली से बाहर अधिकारियों के स्थायीकरण पर विचार करने हेतु) जिसमें शामिल है:- (1) अपर निदेशक, संबंधित केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना इकाई- अध्यक्ष (2) मुख्य चिकित्सा अधिकारी, संबंधित केंद्रीय स्वास्थ्य योजना इकाई- सदस्य	लागू नहीं

(3) प्रशासनिक अधिकारी अथवा संबंधित अपर निदेशक द्वारा नामित समूह ‘क’ का कोई अधिकारी- सदस्य	

[सं. ए-12018/03/2016-सीजीएचएस-I]

(धर्मेन्द्र सिंह)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, मायापुरी,
नई दिल्ली।